कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।

पत्रांक : 412 / सा0वि0 / स्वा0वि0 / 2019–20 दिनांकः– 31-8-19

अति अल्पकालीन ई–टेण्डर निविदा सूचना

राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि की धनराशि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के स्वास्थ्य अनुभाग में पालिका वाहन संचालन हेतु 40 ड्राईवर ठेका पद्धति पर उपलब्ध कराने हेतु अनुभवी फर्म/कम्पनी/संस्थाओं से अति अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईट http://etender.up.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि			2-9 –.2019 से 9–9–.2019 सायं 2 बजे तक		
निविदा अपलोड करने के पश्चात् प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय			दिनांक 9-9-.2019 सायं 5.00बजे तक		
निविदा खोलने की तिथि			10–9 –2019 अपरान्ह 12.00बजे		
क्र0सं0	कार्य का नाम	अनुमानित वार्षिक व्ययानुमान	धरोहर राशि	निविदा मूल्य	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	7
1	40 ड्राईवर (जे0सी0बी0, लोडर, सीवर जेटिंग मशीन, रोड स्वीपर मशीन, स्काई लिफ्ट, लोडर आदि भारी वाहन संचालन हेतु)	8811830	177000	10502 GST सहित	एक वर्ष

तकनीकी विड के प्रपत्र अपलोड किये जाने का विवरणः–

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र।
2. जी0एस0टी0 पंजीकरण।
3. श्रम विभाग पंजीकरण।
4. पेन कार्ड।
5. राज्य कर्मचारी बीमा एक्ट (ई0एस0आई0) पंजीकरण।
6. कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) पंजीकरण।
7. 100/– रूपये के स्टाम्प पर स्व–घोषणा पत्र।
8. धरोहर राशि की एफ0डी0आर0।

निविदा की शर्तेः–

1. सशर्त निविदांए मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी।
2. नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर को बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। निविदा शुल्क धनराशि खाता संख्या–01401131002304 ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स, सिविल लाईन, मोतीबाग, बुलन्दशहर आई0एफ0एस0सी0 कोड–ORBC0100140 में जमा करने के पश्चात् ही उपरोक्त निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा, जिसकी छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. स्व–घोषणा पत्र वर्तमान निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम संख्या 4 में अंकित विवरण के अनुसार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पदनाम से बंधक कराकर स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी तथा मूल प्रति अन्य प्रपत्र के साथ लिफाफे में रखकर डालनी होगी।
5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय हैं।
6. फर्म का श्रम विभाग, उ0प्र0 में पंजीकरण होना आवश्यक है।
7. ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित कराना होगा।
8. ठेकेदार/फर्म को अनुभवी ड्राईवर उपलब्ध कराने होगे, जिनके पास भारी वाहन संचालन का ड्राईविग लाईसेन्स एवं एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा तथा ड्राईवर की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक ड्राईवर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
9. निविदादाता द्वारा सफाई श्रमिको को आई0कार्ड, वर्दी देना अनिवार्य होगा।
10. **फर्म/ठेकेदार/सेवाप्रदाता द्वारा अपने ड्राईवर को शासनादेश/लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप ही भुगतान करना होगा, किसी भी प्रकार से ड्राईवरों का शोषण नहीं किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म को निविदा में प्रतिस्पर्धा केवल लाभाश पर ही करनी होगी।**

11. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवरों के पास ड्राईविंग लाईसेन्स संचालित भारी मोटर वाहन चलाने का, होना अनिवार्य है। पालिका के वाहन संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये ड्राईवरों के ड्राईविग लाईसेन्स की छायाप्रति स्वास्थ्य अनुभाग में जमा करनी अनिवार्य होगी।

12. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवरों द्वारा राजकीय अवकाश के दिवसों में भी कार्य कराना होगा तथा विशेष परिस्थितियों में ड्राईवरों से कार्य कराये जाने पर अतिरिक्त भुगतान की मांग ठेकेदार/फर्म द्वारा नहीं की जायेगी।

13. ठेकेदार/फर्म द्वारा नियमानुसार अनुबंध पत्र के साथ जमा की गयी 10 प्रतिशत जमानत राशि की एफ0डी0आर0 को ठेका अवधि समाप्ति अर्थात एक वर्ष बाद ही वापिस किया जायेगा।

14. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक/अधिशासी अधिकारी के निर्देशानुसार पालिका वाहनो से सफाई व्यवस्था के कार्य को सम्पादित करेगे तथा ड्राईवरों की प्रतिदिन उपस्थिति प्रातः 7.00 बजे से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्ति तक रहेगी।

15. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवर पालिका वाहनों को चलाते समय किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। यदि कोई भी ड्राईवर नशे की हालत में वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसे ठेकेदार को तत्काल हटाना होगा तथा वाहन में हुई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि का दायित्व भी ठेकेदार/फर्म का होगा।

16. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवर को पालिका सफाई वाहनों में डीजल प्रतिदिन कार्य क्षेत्र के अनुसार दिया जायेगा।

17. ठेकेदार/फर्म द्वारा ड्राईवरों का बिल प्रतिमाह की उपस्थिति वाहन प्रभारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

18. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवर से पालिका का वाहन चलाते समय कोई भी अप्रिय दुर्घटना घटित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी, पालिका का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

19. ठेकेदार/फर्म के ड्राईवर प्रतिदिन कार्य समाप्ति के उपरान्त पालिका वाहनों की धुलाई करके वाहन गोदाम पर खड़ा करेगे। ड्राईवरों द्वारा वाहन की धुलाई न करने पर पालिका द्वारा वाहनों की धुलाई कराने में जो व्यय होगा, उसे ठेकेदार के बिल से काटा जायेगा।

20. तकनीकी बिड के उपरोक्त प्रपत्रों एवं निविदा शुल्क, धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति को एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य का नाम ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करके निर्धारित तिथि दिनांक 9–9–2019 सायं 5.00 बजे तक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डालना अनिवार्य होगा।

21. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कॉपी टैण्डर के साथ अपलोड होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

22. ई0एस0आई0 व ई0पी0एफ0 आदि देयों की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी, जिसे ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रत्येक माह सम्बन्धित कार्यालय में जमा करके उसके चालान की प्रति उपलब्ध कराने पर ही अगले माह के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

23. ठेकेदार/फर्म के बिल से पालिका द्वारा जी0एस0टी0 की कटौती के अतिरिक्त देय जी0एस0टी0 को सम्बन्धित विभाग में जमा कर प्रमाण पत्र प्रत्येक माह उपलब्ध कराना होगा।

24. ठेकेदार/फर्म को अपने सभी श्रमिको को वेतन/भत्ते का भुगतान बैक खाते में करना होगा, श्रमिको के बैक खातों की सूची भी पालिका परिषद, द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।

25. ड्राईवरो को भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी, तथा ठेकेदार के बिल से देय आयकर, उपकर एवं शासकीय करो की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

26. ठेकेदार/फर्म के श्रमिको द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग पालिका से नहीं की जायेगी तथा ठेकेदार के श्रमिको द्वारा किसी भी प्रकार से राजनीति कर पालिका के कार्य को बाधित नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित श्रमिक को तत्काल हटाना होगा, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी वाछंनीय होगी।

27. शासनादेश संख्या–609/नौ–9–2007–249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में निविदा पत्र के साथ 100/– रूपये का स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र की छायाप्रति स्कैन कर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

28. शासन द्वारा श्रमिकों के हित में समय–समय पर जारी ई0एस0आई0, पी0एफ0 एवं जी0एस0टी0 व पारिश्रमिक दर से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन दोनों पक्षों को मान्य होगा।

29. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायायिक क्षेत्राधिकार, बुलन्दशहर होगा।

नोटः–उक्त निविदांए बैवसाईट <u>http://WWW.BULANDSHAHR.NIC.IN</u> पर भी देखी जा सकती हैं।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर